1 N]. IIT का मुख्य कार्य इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र आदि तकनीकी है।
यह इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा का केन्द्र है।
• अमेरिका के MIT की तर्ज पर भारत ने 1951 में पहला IIT - खड़गपुर में खोला गया।

1 B] कुशल मानव शक्ति से आशय उन प्रशिक्षित एवं दक्ष तकनीशियनों, श्रमिकों से है जो वर्तमान औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की उत्पादन शक्ति में सहायक होते हैं।
• राष्ट्रीय कौशल निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य भी यही है।

Q 2

2 A]. भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके वैश्विक क्षेत्र के मात्र 2.4% क्षेत्र भू भाग पर लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। भारत जनांकिकीय लाभांश में सबसे आगे है।

जनांकिकीय लाभांश का अर्थ उस कार्यशील जनसंख्या से है जो उत्पादन कार्यों में लगी हुई है। जनांकिकीय लाभांश में (15 - 59) आयु वर्ग के लोग शामिल हैं।

जनांकिकीय लाभांश का महत्व

1 उत्पादन में वृद्धि करना।
2. तकनीकी कौशल में कुशल करना जो राष्ट्रीय निर्माण में सहायक हो
3 व्यापक माँग और आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण

निश्चित रूप से इस लाभांश का ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्य योजना की जरूरत है।

(i) रक्ताल्पता से आशय रक्त की कमी से है।
यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाये जाने वाले हीमोग्लोबिन (Hb) की कमी से होता है।
* सामान्यतः इसे 'खून की कमी' कहा जाता है।

(j) चल चिकित्सा केन्द्र दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने का साधन है।

(k)- पर्यावरण प्रदूषण से प्रदूषण हवा, जल एवं मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जिससे मानव जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाएँ, जीवन दशाएँ तथा सांस्कृतिक तत्वों की हानि होती है।

(l) लोक सेवा केन्द्र का आशय उस जगह / स्थान से उपस्थित केन्द्रों से जहाँ से / जिसके माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी मिल सके।
म.प्र. सरकार ने लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की है।

(m) दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है।
उदाहरण - राज्य के मुक्त विद्यालय

1E] राजस्व घाटा से तात्पर्य सरकार के कुल आय एवं व्यय में अंतर से है।

• आमतौर पर यह राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्याधिक वृद्धि के कारण होता है।

1F] ई-रक्षा नेशनल परियोजना दूर संचार एवं आई-टी मंत्रालय द्वारा जारी एक आई टी प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं SC-ST के युवा हैं। ताकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। यह परियोजना 24 दिसम्बर 2013 को प्रारम्भ की गई।

1G] एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय 'मनीला' है।

• प्रमुख कार्य - 1. एशियाई एवं अन्य पड़ोसी देशों के विकास में सामर्थ्य का उपलब्ध करना।

2. विकास क्रियान्वयन के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करना।

3. 1974 में 'एशियाई विकास निधि' का गठन कर एशियाई देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।

1H] संक्रामक रोग वे रोग हैं जो किसी न किसी रोग-जनित कारकों (रोगाणु) जैसे प्रोटोजोआ। कवक, बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण होते हैं।

• संक्रामक रोगों की एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता होती है।

• उदाहरण - मलेरिया, टायफाइड, चेचक आदि।

भाग B

Q. 1.

1 A] कस्तूरी रंगन समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। इस समिति का उद्देश्य- सभी को रोजगार मूलक तथा गुणवत्ता आधारित शिक्षा एवं सुविधा देने को सुनिश्चित करना है।
इसने शिक्षा के 5+3+3+4 प्रारूप पर आधारित

1B] - BCG का पूरा नाम बैसिलस काल्मेट गुएरिन है, जिसका प्रयोग टीबी (क्षयरोग) की रोकथाम के लिए किया जाता है।

1C] निःशक्त जन का आशय शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्तों से है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य नागरिकों की तरह सामान्य कार्य नहीं कर सकते हैं।
वर्तमान में निःशक्तता की श्रेणी सात से बढ़ाकर 21 कर दी गई है।

1D]. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (NCHP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है।
इसका प्रमुख उद्देश्य जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों में निश्चित रोग सहित '4D' अर्थात चार प्रकार की परेशानियों की शीघ्र पहचान एवं प्रबंधन करना है। 4D के अन्तर्गत जन्म के समय दोष, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट की जांच शामिल है।

2. विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना - प्रारम्भ 12 मई 2006
- उद्देश्य - संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना।
- लाभ - बी पी एल परिवार की गर्भवती महिलाओं को ₹ 1000 की सहायता प्रदान करना।

3. दीनदयाल चलित अस्पताल योजना - प्रारंभ 29 मई 2006
- उद्देश्य - प्रदेश के दुर्गम तथा SC-ST क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करना।

4. जननी सुरक्षा योजना - प्रारंभ 2006, तथा उद्देश्य - शिशु एवं मातृ मृत्यु दर (MMR) की कमी हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।

5. मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना - प्रारंभ जुलाई 2011। उद्देश्य - प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।

6. सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना - प्रारंभ - 17 नवंबर 2012, उद्देश्य - बी पी एल एवं SC-ST लोगों के लिए निःशुल्क औषधि वितरण करना।

7. मंगल दिवस योजना - आरम्भ 2007-08 से। मंगलवार गोद भराई, द्वितीय मंगलवार अन्नप्राशन, तृतीय मंगलवार जन्म दिवस, चतुर्थ मंगलवार किशोरी बालिका दिवस।

उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अलावा राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ ICDS के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

30] म.प्र. की जनसंख्या 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार 7.26 करोड़ है। जिसमें महिलाओं की संख्या 48.30% तथा बच्चों का 15% है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि म.प्र. की कुल जनसंख्या में महिलाओं एवं बच्चों की भागीदारी आधे से अधिक है।

इतनी बड़ी मानव पूंजी को कुशल मानव संसाधन में परिवर्तित करने के लिये 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा को चरितार्थ करते हुये इस वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिये अनेक योजनायें तथा व्यापक कार्यक्रम, जननी सुरक्षा कार्यक्रम आदि संचालित किये गये हैं। तदनुरूप स्वास्थ्य संबंधी निम्न विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं:

कल्याणकारी कार्यक्रम

- शिक्षा से संबंधित
- स्वास्थ्य से संबंधित
- गरीबी व रोजगार अनुदान संबंधी
- अनु.जाति जनजाति से संबंधित
- महिला सशक्तिकरण संबंधी
- अन्य सामान्य संबंधी
- वृद्ध एवं दिव्यांग

महिला एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित योजनायें:

महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख योजनायें निम्नवत हैं:

1. दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना :- इसका प्रारंभ वर्ष 25 सितंबर 2004 से हुआ।

• उद्देश्य - बी.पी.एल./SC-ST के लिये शासकीय अस्पतालों में ₹ 30,000 का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क।

गुणवत्ता परक व्यावसायिक सामग्री प्राप्त न हो पाती। व्यापक तौर पर इनके प्रयास असफल होता है। उनके स्वास्थ्य पर

स्वास्थ्य - न्यूनतम मजदूरी एवं अधिकतम श्रम की अनुरूपता। भारतीय औद्योगिक एवं पूंजीवादी कार्यों की नींव रखी है। निर्धन परिवार ; दुर्बलता ; शारीरिक प्रतिरोध क्षमता में कमी ; आदि। अस्वस्थता की स्थिति में बेहतर उपचार न मिल पाना।

न्यूनतम मजदूरी दोहरा दायित्व : - प्रवासी मजदूर न्यूनतम दर श्रमिक पर कार्य करने को मजबूर है। ज्यादा मजदूरी पाने के लिये वह 'डबल ड्यूटी' करता है। इस स्थिति में वह अपना तथा शेष परिवार के सदस्य की भूख को भरता है।

शिक्षा का अभाव - अशिक्षित होने की वजह से उन्हें कुशल एवं संगठित क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिला। नतीजतन व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं।

तकनीकी ज्ञान का अभाव - तकनीकी ज्ञान में अभाव - चूंकि ज्ञान का निर्माण तथा संसाधनों तक पहुंच अभाव- हो जाता है।

उन समस्याओं के अतिरिक्त कार्यों की अनिश्चितता, स्थायी रोजगार का अभाव, सरकारी योजनाओं तक पहुंच न बना ऐसी अनेकों समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए व्यापक सरकारी एवं सामाजिक है। स्तरों पर उठाए गये प्रयत्नों की जरूरत

3B] IIPS (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पापुलेशन साइंस) के अनुसार श्रम और प्रवास, के क्षेत्र में कार्यरत संस्था। इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में 32 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर है जो अपने गृह राज्य को त्याग कर दूसरे राज्यों में असंगठित क्षेत्रों यथा- भवन निर्माण, घरेलू कार्य, ईंट भट्टी एवं कृषि आदि कार्यों में संलग्न है। इन श्रमिकों के साथ सीमित सामाजिक संरक्षण। यथा स्थिर वास स्थान, भोजन, सुरक्षित आवास स्वास्थ्य तथा योजना की सीमित सुविधाएं उपलब्ध होती है। जिन्हें अन्य किसी भी प्रकार की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। कदाचित वे वर्ष में दो बार से अधिक घर जाते हों। ऐसे में उनके जीवन-यापन तथा सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर उपाय की दरकार है।

प्रवासी श्रमिक सामान्य अर्थों में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों से है, जो बेहतर परिस्थिति एवं जीवन अवसर पाने के लिए किसी अन्य राज्यों में अल्पकालिक निवास करते हैं।

<u>प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं</u>:

1. <u>आवास</u> - प्रवासी मजदूर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जहाँ आवास उनकी पहुंच से दूर तथा सुविधा विहीन झुग्गी झोपड़ियों में निवास करना।
2. <u>स्वास्थ्य</u> - प्रवासी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन तथा अत्यधिक श्रम के कारण समय-समय पर- कुपोष

कुपोषण के परिणाम - कुपोषण से शारीरिक विकास एवं मानव संसाधन की उपलब्धता प्रभावित होती है। इसके परिणामों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

1. शारीरिक विकास में कमी :- लोगों में बौनापन (उम्र के साथ ऊँचाई में कमी) तथा वास्टिंग (ऊँचाई के साथ वजन में कमी) का पाया जाना।

2. प्रोटीन ऊर्जा आधारित कुपोषण - (PEM) - भोजन में प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर 'Kwashiorkor' (पेट का बढ़ना) तथा मरास्मस (Marasmus) अर्थात् दुबलापन तथा हड्डियों की विकृति पायी जाती है।

3. खान पान एवं जीवन शैली में परिवर्तन से मोटापा, रक्तचाप आदि समस्याओं का कारण है।

4. मानसिक एवं बौद्धिक विकास में कमी :- कुपोषण से प्रभावित बच्चों के मानसिक अवस्था एवं बुद्धिमत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इससे उनके सामने समझने सोचने तथा कार्य की उत्पादकता एवं क्षमता भी प्रभावित होती है।

5. राष्ट्रीय विकास में बाधा का निर्माण न हो पाना। तथा कुशल मानव संसाधन

इन तथ्यों विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुपोषण कई समस्याओं का एक समुच्चय है, जो न केवल व्यक्ति बल्कि राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करता है। सरकार तथा समाज के सकारात्मक प्रयासों से सुधार संभव है।

कुपोषण के प्रमुख कारण

कुपोषण के कारण

- सामाजिक
- आर्थिक
- धार्मिक
- नीतिगत

सामाजिक कारणों में प्रमुख है :-

1. स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव
2. समय से खाना पान न करना
3. स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की अनदेखी आदि।

आर्थिक कारणों में प्रमुख है :-

1. गरीबी एवं अमीरी का बढ़ता अंतर
2. बेहतर स्वास्थ्य एवं समुचित खाद्य आहार की अनुपलब्धता
3. संतुलित भोजन की उपलब्धता में कमी

धार्मिक कारण - कुपोषण को बढ़ावा देने में समाज में व्याप्त अंधविश्वास मान्यताएं भी निर्भर है।

1. पूजा, उपवास, अत्यंत आगम ग्रहण करना।
2. बड़े कुटुम्बों के बाद महिलाओं एवं बच्चों का भोजन।
3. स्वास्थ्य की गुणवत्ता से अधिक पूजा आराधना में धन का अपव्यय आदि।

नीतिगत कारण - नीतिगत कारणों में सरकारी नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन प्रक्रिया कारण निर्भर है। सरकार विभिन्न कार्यक्रम का प्रभावी तरीके से लागू न होना

Q. 3

3 A] कुपोषण एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। जो विकास एवं आर्थिक समृद्धि के सुधार दरों को - स्थापित करती है। हंगर एवं माल न्यूट्रिशन' रिपोर्ट के अनुसार भारत के आठ राज्यों में जितना कुपोषण है, उतना अफ्रीका आदि अन्य महाद्वीप के देशों में नहीं है। भारत में कुपोषण दर लगभग 55% है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत कितना कुपोषण ग्रस्त देश है।

कुपोषण का अर्थ - आयु और शरीर के अनुरूप - पर्याप्त शारीरिक विकास न होना। अर्थात शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लम्बे समय तक न मिल पाना - ही कुपोषण है।

कुपोषण एक गंभीर एवं जटिल समस्या है जो हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे एवं विकास के दावों की पोल खोल देता है। इससे न केवल बच्चों एवं महिलाओं के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास को बाधित करता है।

<u>कुपोषण के कारण</u> - कुपोषण एक जटिल समस्या है जो कई घटकों का एक संयुक्त है।

1. घरेलू अस्वास्थ्य समस्या का सीधा परिणाम है।
2. खाना न मिल पाना
3. गुणवत्ता एवं संतुलित पुष्ट आहार का अभाव
4. पोषण सम्बन्धी जानकारी का अभाव
5. खाद्य सुरक्षा का अभाव

इन कारणों के अतिरिक्त लोगों में सरकारी योजनाओं से विश्वास की कमी, अव्यवस्थित एवं अशिक्षित मान्यताएं तथा बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ कुपोषण के जिम्मेदार कारक हैं। इन नीतियों तथा सम्बन्धित सहभागियों के सफल समायोजन एवं क्रियान्वयन से 'कुपोषण' से निजात पाया जा सकता है।

25] भारत में विभिन्न बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिये नियंत्रक कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। प्रमुख बीमारियों के सन्दर्भ में संचालित नियंत्रक कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :-

1. भारतीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम - कुष्ठ एक वायरस जनित रोग है, जो शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता को प्रभावित करता है। कार्यक्रम की शुरुआत 1987 में हुई।
2. राष्ट्रीय 'क्षय' रोग निवारण कार्यक्रम - इसकी शुरुआत 1962 में की गई।
3. कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम - वर्ष 1990-91 में भारत सरकार ने कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया।
4. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम - वर्ष 1995-96 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किया गया।

इसके अलावा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, तथा फाइलेरिया उन्मूलन सम्बन्धी नियंत्रक कार्यक्रम का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है।

4 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम।
5 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम।
6. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।
7 राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।
8 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, आशा, आंगनबाड़ी, न्यूनतम विकृति कार्यक्रम का संचालन सरकार द्वारा प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

---

2 i] कुपोषण एक गंभीर वैश्विक समस्या है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2017 के अनुसार दुनिया में कुपोषित लोगों की संख्या वर्ष 2015 में 78 करोड़ थी जो 2016 में 80 करोड़ हो गई।
कुपोषण का अर्थ - एक निश्चित आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं पोषक तत्वों से युक्त भोजन न हो पाना, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं।
कुपोषण के अनेक कारण हो सकते हैं। यथा व्यावहारिक एवं क्रियान्वयन स्तर पर समझा जा सकता है।

आधार चालक कई ← | कुपोषण के कारण | → क्रियान्वयन स्तर

आधार चालक कई:
1. खाद्यान्न सामग्री की अनुपलब्धता
2 खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी
3 प्रभावी कानून एवं नियम का अभाव

क्रियान्वयन स्तर:
1. सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं आन्तरिक अभाव
2. भ्रष्टाचार
3 लोगों में अशिक्षा

2 G] W.H.O. अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है, जिसकी स्थापना 07 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका उद्देश्य लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की संभावनाओं की तलाश करना। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। किंतु हालिया समय में यह आलोचना के घेरे में रहा। इसकी आलोचना निम्नांकित मुद्दों पर की जाती रही -

1. कोविड 19 की सटीक एवं सही समय पर जानकारी न प्रदान कर पाना।
2. वैश्विक आपदा की घोषणा में देरी।
3. अमेरिका तथा W.H.O. के अनुदान देने एवं निष्क्रिय देशों का सरकार्य करना।
4. आर्थिक संसाधनों के व्यापक दुरुपयोग का आरोप।
5. अमेरिका तथा W.H.O. के दायरे से बाहर होने की कवायद।

हालिया भारत देशों के अर्थ लेखे समूह में भी W.H.O. में व्यापक सुधार किये जाने की जरूरत को बल दिया है।

---

2 H] सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत उपाय पर बल दिया जाता है कि बीमारियों का प्रसार रोका जाये तथा उनके उन्मूलन हेतु निवारक उपाय किये जायें। इसे अर्थात निवारक आरोग्य है :-

भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न निवारक कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :-

1. राष्ट्रीय, क्षय, नियंत्रण कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम
3. 'कालाजार' उन्मूलन कार्यक्रम

5. आर्थिक सुरक्षा : - आर्थिक सुरक्षा के अन्तर्गत PM जीवन बीमा, जनधन खाता आदि।

इन कार्य कुर्वों के बेहतर क्रियान्वयन से मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

---

2 F] SRS की रिपोर्ट 2013-14 के अनुसार म.प्र. में मातृ मृत्यु दर में 22 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वर्तमान में यह 173 मृत्यु प्रति लाख जन्म दर है। सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं।

1. जननी सुरक्षा योजना - अस्पताल सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना
2. जननी स्वास्थ्य प्रेम योजना :- गर्भवती महिलाओं एवं 0 IR बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र तक निःशुल्क पहुंच सुनिश्चित करना।
3. विजयराजे जननी कल्याण योजना - बच्चों हेतु संस्थागत प्रसव को
4. जननी शिशु सुरक्षा योजना - में महिलाओं एवं बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा जन्म के तीस दिनों तक करना।
5. 'आशा' की भागीदारी - महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल कर उनके स्वास्थ्य एवं प्रसव को बढ़ावा देना।

इन उपायों से सरकार ने मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये अधिक कदम उठाए हैं।

4. विवाद निपटान प्रणाली को सरल एवं सुगम प्रदान करना
5. उपभोक्ता के मुआवजा, वारंटी गारंटी तथा नापतौल के अधिकार को सुरक्षित करना।
6. नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना तथा उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाना

निष्कर्ष रूप में यह नवीनतम कानून उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा तथा उत्पादों एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में पारदर्शी प्रक्रिया को स्थापित करेगा।

2E] मजदूर समाज का एक अभिन्न अंग, जिसके पास पूँजी का 'अभाव' एवं 'श्रम' का 'सामर्थ्य' होता है राष्ट्र के निर्माण एवं विकास कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार संबंधी जरूरतों को निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम सुनिश्चित किया गया है -

1. रोजगार - रोजगार संबंधी जरूरतों के लिये मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वनिधि योजना एवं संचालित है।
2. स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चितता के लिए आयुष्मान योजना, दीन दयाल अन्त्योदय उपचार योजना, आदि।
3. खाद्यान्न एवं पोषण - राष्ट्रीय पोषाहार अभियान, आंगनवाड़ी, एकीकृत बाल विकास आदि
4. आवास - प्रधानमंत्री आवास योजना, आश्रय योजना

किंतु अधिनियम अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रहा है। इसकी असफलता के निम्नलिखित कारण है -

असफलता के कारण

1. लोगों में जागरूकता की कमी
2. सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं
3. प्रशासनिक भ्रष्टाचार
4. क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं
5. न्याय पालिका द्वारा कानून कमजोर करना

इन समस्त कारणों से यह अधिनियम अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। इसके संस्थागत एवं क्रिया कलापक ढांचे में सुधार कर इसे सफल बनाया जा सकता है।

---

2 Q. बदलते आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य में नये उत्पादों एवं सेवाओं के सृजन ने नये उपभोक्ता कानून के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसी दिशा में 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 लागू किया गया।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं -

1. उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में सेवाओं को शामिल करने का प्रावधान।
2) उत्पाद के गुणवत्ता संबंधी मानकों की जानकारी उपभोक्ता को सुलभ कराना।
3) ई कामर्स कंपनियों को अधिनियम के दायरे में

नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है।

2) मूल अधिकार : संविधान के भाग 3 में अनु 15, अनु 16(3) में महिलाओं में प्रावधान वर्णित है।

3. राज्य के नीति निर्देशक तत्व : भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में अनु 39 (क), अनु 43 में महिलाओं के सुरक्षा एवं समान अधिकारों [illegible] का लेख है।

4. अधिनियम - महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक अधिनियम बनाये गये हैं -
- घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005
- दहेज निषेध अधिनियम 1961
- विशाखा गाइडलाइंस आदि।

निष्कर्ष रूप में महिलाओं के सुरक्षा एवं कल्याण हेतु सकारात्मक उपायों के साथ समाज में शिक्षा, जागरूकता को बढ़ावा देकर बदला दिया जाने की जरूरत है।

---

2 (c) भारत के संविधान में अनु 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद को आधार बनाकर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का गठन किया गया। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत पांच अध्याय तथा 22 धारा शामिल हैं।

Q.2

2 A] कोविड 19 एक वैश्विक महामारी के रूप में फैल गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक आपदा घोषित किया है। विभिन्न देशों ने अपने हितों के लिए प्रयास किया। भारत सरकार द्वारा इससे उपजी आर्थिक, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए हैं -

1) स्वास्थ्य -- कोविड 19 की चुनौतियों से लड़ने के लिये 'जीवन अमृत' योजना का शुभारंभ किया इसके तहत लोगों को 'त्रिकुट' चूर्ण निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।

2) प्रवासी मजदूर समस्या - राज्य के बाहर एवं भीतर मजदूरों की आर्थिक मदद एवं रोजगार सुनिश्चितता के लिये 'मुख्यमंत्री प्रवासी श्रम कल्याण' योजना का शुभारंभ किया गया।

3) एक मास्क अनेक जिंदगी - लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता लाने के लिये।

इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य, जनजाति आदि का क्रियान्वयन कर भारत की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का प्रयास किया गया।

---

2 B] महिला समाज और देश के विकास की धुरी है। इनकी सुरक्षा एवं सहभागिता बनाने के लिये भारतीय संविधान में निम्नलिखित उपाय किए है -

1) प्रस्तावना - संविधान की प्रस्तावना में समता

1 K]. उपभोक्ता बाजार की आर्थिक क्रिया का सर्वाधिक प्रमुख अंग है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम रूप से उपयोग या उपभोग करता है।
उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रयोग नहीं करता है

1 L]

1 M]. रोको टोको अभियान म.प्र. सरकार द्वारा वर्ष जुलाई 2020 में मास्क न लगाने के लिए शुरू का प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना तथा कोविड-19 की महामारी को फैलने से रोकना है।

1 N] -

10] AIIMS का अर्थ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। इसकी आधार शिला 1952 में रखी गई, और इसका जून 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में गठन हुआ। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल के सभी पक्षों में उत्कृष्टता प्रदान करना है। नई दिल्ली में सबसे पहला AIIMS खोला गया है। वर्तमान में 7 AIIMS अवस्थित है। लक्ष्य 2022 तक हर राज्य में AIIMS का निर्माण करना है

1F]. 'बर्ड फ्लू' जिसे 'एवियन इन्फ्लुएन्जा' भी कहा जाता है। यह बीमारी H5N1, नामक वायरस से होती है। यह वायरस पक्षियों, मुर्गियों के साथ मनुष्यों को प्रभावित करता है।

1G]. यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान, एवं सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति यह कि मानवता में विश्व में शान्ति और विकास को बढ़ावा देना है।

1H]. - WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। जिसकी स्थापना 07 अप्रैल 1948 को हुई यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है। इसका उद्देश्य संसार के लोगों का स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा करना है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें 194 सदस्य देश शामिल है।

1i] श्रम विभाजन से तात्पर्य जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तर्कसंगत बाँटकर, हर भाग को करने के लिये अलग अलग लोग निर्धारित किये जाते है तो इसे श्रम का विभाजन कहा जाता है।
श्रम विभाजन बड़े कार्यों को सफलता पूर्वक करने में सहायक होता है।

1J].

1[A] जन्म (नवजात) से लेकर तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों को 'शिशु' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1[B]. AYUSH का पूरा नाम आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी है। यह आयुष मंत्रालय द्वारा शासित एक विभाग है।
वर्ष 2018 में आयुष मंत्रालय ने 'आयुष आपके द्वार' नामक योजना का शुभारंभ किया। जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में 5 किमी के दायरे में निःशुल्क 'आयुष केन्द्र' लगाकर रोगों का उपचार करना है।

1[C].

1[D] भ्रष्टाचार उन आपराधिक कृत्यों का समुच्चय है जिससे किसी विधि, न्याय, नैतिकता तथा सदाचार का उल्लंघन होता है।

1[E] AICTE - का पूरा नाम - ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अर्थात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है जिसकी स्थापना 1945 में सलाहकार के निकाय के रूप में किया गया था, बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका उद्देश्य भारत में नई तकनीकी संस्थान पहल रूप शुरू करना, तथा तकनीकी संस्थानों में प्रबंध हेतु प्रोत्साहित करना है।